भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार
समक्ष अध्यक्ष, नवीन वर्मा का पीठ

RERA/CC/464/2019

इरफान अहमद **.....वादी**

वनाम

भुतेश कंस्ट्रक्सन प्रा0 लि0 **......प्रतिवादी**

प्रोजेक्ट–रहमत टावर

15.9.2022 **कार्यवाही**

उभय पक्ष उपस्थित हैं। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता परवीण कुमार उपस्थित हैं और उन्होंने बताया कि फ्लैट नम्बर 303, जो दक्षिणी–पूर्वी छोर पर स्थित है, अब उपलब्ध नहीं है क्योंकि वादी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किये जाने के कारण वह फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपना लिखित बयान शपथ–पत्र के माध्यम से एवं वादी के साथ सम्पर्क करने के प्रयास संबंधी प्रमाण दाखिल करें ।

वादी द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया । प्रतिवादी की ओर से वैकल्पिक फ्लैट का प्रस्ताव के संबंध में वादी का कहना है कि जिस फ्लैट के लिए मनोबंध पत्र (agreement to sale) पर हस्ताक्षर किया गया है उन्हें वही फ्लैट मिलना चाहिए।

वादी यदि चाहें तो प्रतिवादी द्वारा दायर किये गये उत्तर के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया लिखित रुप में एक सप्ताह के अन्दर दे सकते हैं।

यदि पक्षकारों द्वारा वांछित कागजात दाखिल नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जायेगा।

आदेश हेतु दिनांक 10–10–2022 को रखें।

ह0/–
(नवीन वर्मा)
अध्यक्ष